सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: के0जी0बी0वी0/3-2/ 3267 /2012-13 दिनांक 12 अक्टूबर 2012

विषयः **सविदा के आधार पर के0जी0बी0वी0 में कार्यरत् वार्डन, फुल टाइम एवं पार्ट टाइम टीचर्स तथा शिक्षणेत्तर स्टाफ की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए करने के उपरान्त अगले वर्ष इन पदों पर नवीनीकरण अथवा स्टाफ चयन विषयक।**

महोदय,

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संविदा के आधार पर केजी0बी0वी0 में कार्यरत् वार्डन, फुल टाइम एवं पार्ट टाइम टीचर्स तथा शिक्षणेत्तर स्टाफ की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए करने के उपरान्त अगले वर्ष इन पदों पर नवीनीकरण अथवा नवीन चयन की आवश्यकता होती है।

समय रो नवीनीकरण अथवा नवीन चयन की कार्यवाही न हो पाने पर जहाँ एक ओर शासकीय कार्य अवरूद्ध होता है, वही दूसरी ओर प्रश्नगत कर्मी अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं, जिसके कारण कई बार रिट याचिकाएं भी कर्मियों द्वारा दायर कर दी जाती हैं। कई मामलों में राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 के स्तर से रिट याचिकाओं में पारित आदेशों का निस्तारण करना अपेक्षित हो जाता है। रिट याचिका संख्या 45286/2012 शांति मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे ही एक प्रकरण में राज्य परियोजना निदेशक से नवीनीकरण के प्रकरण में निस्तारण आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त संबंध में समुचित विचारोपरान्त निवम्नवत् निर्देश दिये जाते हैः-

क जिन कर्मियों की सेवाएं उपयुक्त न पायी जायें उनके संबंध में पत्रावली पर साक्ष्य सहित स्पष्ट आकलन होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में उनकी सेवाएं उपयुक्त नहीं पायी गयी हैं। वस्तुतः यदि किसी कर्मी की सेवा का नवीनीकरण नहीं किया जाता है तो एकाएक सेवा समाप्त करने के स्थान पर वर्ष में आवश्यकता पड़ने पर ऐसे कर्मी को अपनी सेवा में सुधार लाने के लिए सुझाव/चेतावनी जिलाधिकारी के स्तर से लिखित रूप में दिया जाना आवश्यक है।

ख कर्मचारी की संविदा में ऐसा प्राविधान होना चाहिए कि यदि उसकी सेवाएं अनुपयुक्त पायी जाती हैं तो उन्हें एक माह का नोटिस देकर सेवाओं का समाप्त किया जा सके।

दूरभाष : 2780995, 2781316 फैक्स : 0522-2781123, 2780998, 2781316 ई-मेल : spdup@rediffmail.com; upefa@upefa.com; upefaspo@gmail.com

ग गंभीर परिस्थितियों/वित्तीय अनियमितता/गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति में बिना कोई नोटिस के यदि सेवा समाप्त करने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी द्वारा पुष्ट प्रमाणों सहित स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित किया जायेगा। संविदा समाप्ति हेतु निर्गत आदेश जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से ही मान्य होगा।

घ कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत संविदा कर्मी की सेवा समाप्त करने के आदेश किसी कर्मी पर 30 सितम्बर, 2012 तक तामील नहीं गये हैं तो उनकी सेवाएं जून, 2013 तक नवीनीकृत मानते हुए बिना राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 की अनुमति के समाप्त नहीं की जायेंगी। यदि किसी प्रकरण में भिन्न आदेश की आवश्यकता हो तो राज्य परियोजना निदेशक को दिनांक 30–10–2012 तक सुविचारित प्रस्ताव अवश्य प्रस्तुत किया जाय।

च आगामी वर्षों में नवीनीकरण/नवीन चयन की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष संविदा समाप्त होने के कम से कम 20 दिवस पूर्व अवश्य प्रारम्भ की जाये एवं जिलाधिकारी की अनुमति से नवीनीकरण/नवीन चयन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। पत्रावली को विलम्ब से प्रस्तुत करने के स्थान पर जिलाधिकारी के समक्ष समय से पत्रावली प्रस्तुत करने का दायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा।

भवदीय,

(अतुल कुमार)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: के0जी0बी0वी0/2–3/ 3267 /2012–13 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0 (औरैया एवं कानपुर नगर को छोड़कर)।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) समस्त मण्डल, उ0प्र0।
5. अपर परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0।
6. वित्त नियंत्रक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0।
7. समस्त वरिष्ठ विशेषज्ञ, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0।

(अतुल कुमार)
राज्य परियोजना निदेशक